



**THE PUNJAB STATE BOARD OF TECHNICAL
EDUCATION AND INDUSTRIAL TRAINING**

PLOT NO. 1-A, SEC. 36-A, CHANDIGARH PH. : 615385, 622584-85 FAX : 660734

ਨੰ: ਪੀਐਸਬੀਟੀ/ਆਈਟੀਆਈ/

ਮਿਤੀ:

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਵਿਸ਼ਾ: ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਕਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ DMW, Patiala ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੰ: 001/2017-18/ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ
ਮਿਤੀ 13-04-2018 ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜਲ ਇੰਜਨ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ
1961 ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਟਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪ
ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨੱਥੀ: ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ

11
ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ)
ਵਾਸਤੇ ਸਕੱਤਰ

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 1100

ਮਿਤੀ: 02.05.18.

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ/ਰਿਕਾਰਡ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

1. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਮੂਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ/ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
2. ਪੀ.ਏ/ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ।
3. ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ
4. ਐਡਮਿਨ ਅਫਸਰ

7/3/2018
02.05.18
ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ)
ਵਾਸਤੇ ਸਕੱਤਰ

डीजल रेलईजन आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला

SO (ITL)
7 ml
26.4.18

विज्ञापन सूचना सं 001/2017-18/अप्रेटिस

दिनांक: 13.04.2018

| महत्वपूर्ण तिथियां | |
|---------------------------------|--|
| On line आवेदन के खुलने की तिथि | : 17.04.2018 |
| On line आवेदन बन्द होने की तिथि | : 16.05.2018 (केवल फीस वाले कैंसों में फीस दिनांक 23.05.2018 तक बैंक समयानुसार भरी जा सकती है तथा 'Final Submit' भी दिनांक 23.05.2018 को शाम के पांच बजे तक किया जा सकता है) |

M/S Jagmat
26/4/18

विषय : अप्रेटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत एक्ट अप्रेटिस प्रशिक्षण हेतु ।

अप्रेटिस एक्ट 1961 के निर्देशानुसार डीजल रेलईजन आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला में निम्नलिखित ट्रेडों में अप्रेटिस उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है । योग्य अभ्यर्थियों के ऑन लाइन आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2018 को 17.00 बजे तक डीजल रेलईजन आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला-147003 की आधिकारिक वेबसाइट www.dmw.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र प्रोफार्मा में रजिस्टर किए जाएं। उसके बाद यह लिंक अनुपलब्ध (inactive) हो जाएगा।

| क्रसं | ट्रेड | शैक्षणिक योग्यता | तकनीकी योग्यता | कुल सीटें | अनु० जा० | अनु०जन० जा० | अपिव | सामान्य |
|-----------|-----------------------------|--|--|-----------|----------|-------------|------|---------|
| 1. | इलैक्ट्रीशियन | 10+2 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ कम से कम 50% कुल अंको के साथ 10वीं कक्षा या समकक्ष कक्षा पास | केवल इलैक्ट्रीशियन ट्रेड में आई०टी०आई० पास | 70 | 11 | 05 | 19 | 35 |
| 2. | मशीनिष्ट | 10+2 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ कम से कम 50% कुल अंको के साथ 10वीं कक्षा या समकक्ष कक्षा पास | केवल मशीनिष्ट/मशी०(कम्पोजिट) ट्रेड में आई०टी०आई० पास | 32 | 05 | 02 | 09 | 16 |
| 3. | फिटर | 10+2 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ कम से कम 50% कुल अंको के साथ 10वीं कक्षा या समकक्ष कक्षा पास | केवल फिटर ट्रेड में आई०टी०आई० पास | 21 | 03 | 02 | 05 | 11 |
| 4. | वैल्डर (गैस एवं इलैक्ट्रिक) | 8वीं कक्षा उत्तीर्ण | केवल वैल्डर ट्रेड में आई०टी०आई० पास | 17 | 02 | 01 | 05 | 09 |
| कुल सीटें | | | | 140 | 21 | 10 | 38 | 71 |

GA(M)

B.A.

P.O.

No 5558 Date 25.4.18

डी.एम.डब्ल्यू
D.M.W.

रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 31.07.06 को जारी किये पत्र सं० ई (एम०पी०पी०) 2006/6/10 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी कर्मचारियों को जोड़कर विभिन्न ट्रेडों में सीटों पर 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है।

1. मृत/अंगहीन भूतपूर्व सैनिक, वह भी जो शान्ति समय में मृत/अंगहीन हुये हैं, के बच्चे।
2. भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे
3. कार्यरत सैनिकों के बच्चे
4. कार्यरत अधिकारियों के बच्चे
5. भूतपूर्व सैनिक

रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 13.05.06 को जारी किये पत्र सं ई (एम०पी०पी०) 2005/6/11 के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में सीटों पर विकलांग व्यक्तियों के लिये भी 03 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है। इसके इस प्रकार आका यथा है:

| क्रम | ट्रेड | शारीरिक अक्षत (PH) | भूतपूर्व सैनिक इत्यादि |
|------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | इलेक्ट्रीशियन | 02 | 02 |
| 2. | मशिनिष्ट | 01 | 01 |
| 3. | फिटर | 01 | 01 |
| 4. | वैल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक) | 01 | 01 |

विकलांग आवेदकों के पास संलग्न संबंधित Annexure-VII में दर्शाए गए परफोमा में विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

आयु सीमा: दिनांक 16.05.2018 को इलेक्ट्रीशियन, मशिनिष्ट एवं फिटर ट्रेड के लिए आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है, वैल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक) ट्रेड के लिए आयु सीमा दिनांक 16.05.2018 को 15 से 22 वर्ष है।

सभी ट्रेडों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के मामले में 5 वर्ष तक ऊपर की आयु के मामले में 3 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु यह छूट उन्हीं उम्मीदवारों को देय होगी जिनके पास आवेदन करने की तिथी को वैध जाति प्रमाण पत्र होगा।

प्रोसेसिंग फीस: आवेदन करते समय आवेदक को प्रोसेसिंग फीस के रूप में रु 100 + लामू सेवा प्रसार का भुगतान करना होगा। जिसका रिफंड नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/शारीरिक रूप से विकलांग/महिला उम्मीदवारों द्वारा किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। प्रोसेसिंग फीस का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में चालान के माध्यम से किया जा सकता है। जिन आवेदकों से यह शुल्क अपेक्षित है उन्हें ऑन लाइन आवेदन करते समय भारतीय स्टेट बैंक के शाखा द्वारा दिया गया जर्नल नं० (Journal Number) भर कर ही अपना आवेदन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। आवेदक को प्रोसेसिंग फीस के भुगतान की रसीद संभाल के रखनी होगी। उसे दस्तावेजों के सत्यापन के समय मांगा जाएगा। जिस आवेदक के पास प्रोसेसिंग फीस के भुगतान की रसीद नहीं होगी, उसे तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

आवेदक को मेट्रिक/दसवीं कक्षा परीक्षा तथा आईटीआई परीक्षा में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों को दर्शाना होगा। मेट्रिक/दसवीं कक्षा के अंक यदि सीजीपीए (CGPA) में हैं तो सीजीपीए को 9.5 से गुणा कर प्रतिशत में परिवर्तित कर अंक दर्शाए जाएं। आवेदक द्वारा मेट्रिक तथा आईटीआई दोनों परीक्षाओं में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों की औसत भी दर्शानी होगी। उदाहरणतः यदि आवेदक के मेट्रिक में 70% अंक हैं तथा आईटीआई में 80% अंक हैं तो दोनों परीक्षाओं के प्रतिशत अंकों की औसत $(70+80)/2=75\%$ होगी।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वह अपना विवरण पूर्ण रूप से भरे जाने के उपरान्त इसका preview देखें। Data ठीक करने के लिए reset option उपलब्ध है।

'SUBMIT' ऑप्शन क्लिक करते समय जिन आवेदकों से प्रोसेसिंग फीस अपेक्षित है, उन्हें बैंक चालान प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा।

जिन आवेदकों से प्रोसेसिंग फीस अपेक्षित है उन्हें बैंक चालान प्रिंट करने पर 48 घंटे उपरांत भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा जमा प्रस्ताव को (Journal Number) भर कर ही आवेदक द्वारा 'FINAL SUBMIT' कर अपना आवेदन जमा करने का प्रयास किया जा सकेगा। प्रोसेसिंग फीस जमा करने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट लेना होगा। जिन आवेदकों से प्रोसेसिंग फीस अपेक्षित नहीं है उन्हें 'FINAL SUBMIT' कर अपना आवेदन जमा कर अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा।

ऐसा करने के उपरान्त प्रिंट आउट अपने रिकार्ड और इस कार्यालय में भविष्य में प्रयोग के लिए अवश्य सम्भाल कर रखें। यह भी नोट करें कि एक बार 'SUBMIT' क्लिक करने के बाद आवेदक अपने Bio-data का preview या Reset नहीं कर सकेगा।

उम्मीदवार अपने आवेदन हेतु नीचे अंकित तिथियों के दौरान ही log on कर सकेगा।

| | | |
|---|---|------------|
| On line आवेदन के खुलने की तिथि | : | 17.04.2018 |
| On line आवेदन बन्द होने की तिथि | : | 16.05.2018 |
| (केवल फीस जमा करने में फीस बिनाक 23.05.2018 तक बैंक सम्पर्क नहीं कर सकती है तथा 'Final Submit' भी बिनाक 23.05.2018 तक नहीं कर सकती है।) | | |

उम्मीदवार on line माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए सहायक विभागाध्यक्ष को सलाह दी जाती है कि आवेदन की स्थिति में कोई गलती नहीं होगी जहाँ आवेदन के दौरान उम्मीदवार की ओर से कोई त्रुटि हुई हो।

नोट : 1. मात्र उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के विरुद्ध इस संगठन के उपरोक्त कथित वेबसाइट लिंक के माध्यम से प्राप्त होंगे। जिन आवेदकों ने Ministry of Skill Development and Entrepreneurship के वेबसाइट पोर्टल पर इस संगठन में अप्रैटिन्सशिप करने हेतु आवेदन दिया है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। वे इस अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन करने से पूर्व Ministry of Skill Development and Entrepreneurship के वेबसाइट पर NCVT MIS पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

2. आवेदक अपने on line भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य अपने पास सम्भाल कर रखें, ताकि दस्तावेज देखने हेतु इस कार्यालय द्वारा बुलाए जाने पर इसे प्रमाण के तौर पर देखा जा सके। बिना प्रिंट आउट के किसी भी उम्मीदवार को दस्तावेज verification हेतु स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

3. आवेदक को प्रोसेसिंग फीस (where applicable) के शुल्कान की रसीद सम्भाल लेनी होगी।

4. आवेदक को प्रोसेसिंग फीस (where applicable) के शुल्कान की रसीद सम्भाल लेनी होगी।

चयन प्रक्रिया:-

मेरिट सूची आवेदकों द्वारा मेट्रिक कक्षा और आई०टी०आई० दोनों परीक्षाओं में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों की औसत के आधार पर (दोनों को बराबर महत्व देते हुए) तैयार की जाएगी ।

यह सूची प्रत्येक ट्रेड में विज्ञापित सीटों की संख्या और प्रचलित निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग व्यक्तियों इत्यादि हेतु दिये जाने वाले आरक्षण पर भी आधारित होगी ।

वैल्डर(गैस एवं इलेक्ट्रिक) ट्रेड में भी मेरिट सूची मेट्रिक कक्षा तथा आई०टी०आई० दोनों परीक्षाओं में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों की औसत के आधार पर (दोनों को बराबर महत्व देते हुए) तैयार की जाएगी । इस ट्रेड में यदि ऐसी स्थिति होती है कि मेट्रिक पास आवेदक पूरे नहीं मिल पाते हैं तो ही निचली कक्षाओं के आवेदकों पर उस निचली कक्षा एवं आई०टी०आई० के प्राप्त अंकों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

दो या अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक एक जैसे होने की स्थिति में उम्र में बड़े (as per date of birth) उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी । जन्म तारीख समान हो तो ऐसे मामले में जिस उम्मीदवार ने मेट्रिक/इसबी कक्षा की परीक्षा पहले पास की हो पर पहले विचार किया जाएगा ।

दस्तावेजों की जांच:- अन्तिम लिथि तक प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के आधार पर, भरे जाने वाली सीटों के 1.5 गुणा उम्मीदवारों (जिनकी सूची डी०एम०डब्ल्यू० की आधिकारिक वेबसाइट पर ही डाली जाएगी) को वेबसाइट पर Departments सेक्शन में Personnel के अन्तर्गत Misc Activities लिंक के सब-लिंक Engagement of Act Apprentices पर दिए गए schedule के अनुसार दस्तावेजों की जांच हेतु प्रस्तुत होना होगा । यह सूची वेबसाइट पर दिनांक 07.06.2018 तक अपलोड कर दी जाएगी ।

नोट :- वेबसाइट पर सूचित करने के अतिरिक्त कोई और सूचना (पत्र, SMS आदि) जारी नहीं की जाएगी । अतः उम्मीदवार उपरोक्त वेबसाइट को समय समय पर देखते रहें ।

प्रशिक्षण का सम्भावित आरम्भ एवं अवधि:- प्रशिक्षण का सम्भावित आरम्भ जून/जुलाई 2018 से होगा । अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के अन्तर्गत ट्रेनिंग अवधि में निर्धारित छूट दिए जाने के पश्चात इलेक्ट्रीशियन, मशिनिष्ट, फिटर एवं वैल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक) ट्रेडों में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान है ।

छात्रवृत्ति :- रेलवे बोर्ड के पत्र पत्र सं० ई (एम०पी०पी०) 2014/6/8 दिनांक 05.12.2014 के दृष्टिगत प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति की दर निम्न प्रकार होगी :-

| | |
|--|---|
| (a) During the 1 st year of training: | Seventy per cent of minimum wage of semi-skilled workers notified by the respective State or Union territory. |
| (b) During the 2 nd year of training: | Eighty per cent of minimum wage of semi-skilled workers notified by the respective State or Union territory. |
| (c) During the 3 rd & 4 th year of training: | Ninety per cent of minimum wage of semi-skilled workers notified by the respective State or Union territory. |

1
शारीरिक योग्यता:- समय-समय पर यथा संशोधित अप्रेंटिस एक्ट, 1961 और अप्रेंटिसशिप नियम, 1992 के तहत वही शारीरिक प्रशिक्षण पर जाने के लिए पात्र होगा, जो उपर्युक्त एक्ट और नियमों में यथा निर्धारित शारीरिक योग्यता के न्यूनतम मानकों तथा संबंधित ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए निर्धारित मानकों, जिन्हें एक रेलवे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, को पूरा करता/करती है। पूर्व में किए गए अग्रह से उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत डाक्टरों की जांच में उपयुक्त नहीं पाये गये उम्मीदवार, अवेदन न करें।

प्रशिक्षण: पूरे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के अनुदेशों सहित बुनियादी प्रशिक्षण, उसके बाद शॉप फ्लोर अथवा व्यवहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अवकाश :- अप्रेंटिस एक्ट में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अप्रेंटिस छुट्टी के पात्र होंगे।

आचरण और अनुशासन : अप्रेंटिस उम्मीदवार समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार आचरण और अनुशासन का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

कर्मस्थान :- जिस कर्मस्थान से प्रशिक्षणार्थी सम्बन्ध है, उसी कर्मस्थान का कार्य समय प्रशिक्षणार्थियों पर लागू होगा।

करार :- अप्रेंटिसों को अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के मुताबिक करार पर हस्ताक्षर करने होंगे।

सामान्य : उम्मीदवार का प्रशिक्षण के लिए चुना जाना और प्रशिक्षण पूरा होने के उपरान्त अप्रेंटिस को डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला में नियुक्ति के लिए कोई गारन्टी नहीं है। रेल प्रशिक्षण देती है, रेल प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में बाध्य नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान रेलवे पास एवं पी०टी०ओ०, निशुल्क भित्तिता सुविधाएं आदि नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को अपने कर्म पर वापस करनी होगी।

वरिष्ठ अधिकारी

सं० 220/ई/1/एक्ट अप्रेंटिस/भाग-XXVI दिनांक: 13.04.2018

प्रतिलिपि:-

1. पंजाब राज्य में स्थित सभी जिला रोजगार कार्यालय,
2. सचिव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के सूचनाय
3. सभी अधिकारीयुक्त डी०एम० डब्ल्यू०/पटियाला।
4. निदेशक, पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्लॉट नं० 1-ए, सेक्टर 36-A, चंडीगढ़-160036
5. सभी वरिष्ठ कर्मचारी अधी० और यु०का०अधी० डी०एम० डब्ल्यू०/पटियाला।
6. संबुक्त सचिव, कर्मचारी परिषद डी०एम० डब्ल्यू०/पटियाला।
7. प्रधान, अनु०जा० एवं जन०जा० संस्था एवं प्रधान, जे०बी०सी० संस्था (डी०एम० डब्ल्यू०)

**PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE
(FOR REGULAR CANDIDATES)**

(PARTICULARS OF THE STATE DIRECTORATE/DGE&T OFFICES)

PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE

Sh. /Smt/ Kumari _____ Son/wife/daughter of _____
 Sh. _____ Roll No. _____ having completed the
 course of training at _____ (Name of Institute & place) and
 passed the prescribed trade test in the trade of _____ held in the month of _____
 is awarded this certificate provisionally.

The National Trade Certificate will be issued by the National Council
 for Vocational Training.

Character _____ to _____
 Character _____

Trade Test Marks

| Subject | Max. Marks | Marks obtained. |
|--------------|------------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Prepared by

Signature of Principal Of ITI

Incharge CTS of
 DGE& T Inst. With Seal)

(Signature of Certificate Holder)

Checked by

(Facsimile Signature)
 Secretary S.C.V.T
 Head of DGE&T Instt.

SAMPLE
PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE
(FOR REGULAR CANDIDATES)

ANNEXURE-II

(Particulars of the State Directorate/DGET Offices)
PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE

Shri/Shrimati/Kumar _____ Son/Wife/Daughter of Shri
_____ Roll No. _____ has completed the
training programme at _____ (Name of Institute and Place) in _____ trade.
She/he was admitted during August/February _____ session at SN. _____ out of total
_____ admitted against _____ unit(s) affiliated to National Council for Vocational Training vide
order No. DGET _____ dated. She/He has passed the All India Trade Test for
Creditmen Training Scheme held in the month of _____ 20_____.

Character during the period of training was found to be _____

Trade Test Marks

| Subject | Max.Marks | Marks obtained |
|---------|-----------|----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| Total = | | |

Date of birth as recorded in the School Certificate _____

Prepared by _____

Checked by _____

Signature of Principal of ITI _____

(Facsimile Signature)

(In-charge CTS of DGET Instt./with Seal)

Secretary S.C.V.T/

Head of DGET Instt.

(Signature of certificate holder)

Date _____

SAMPLE

ANNEXURE-III

PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE
(FOR PRIVATE CANDIDATES)

(PARTICULARS OF THE STATE DIRECTORATE)

PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE

Sh./Smt/Kumari _____ Son/wife/daughter _____ of
Sh. _____ Roll No. _____ having passed the
prescribed trade test as Private Candidate in the _____ held in the month of
_____ is awarded this certificate provisionally.

The National Trade Certificate will be issued by the National Council for Vocational Training.

Trade Test Marks

| Subject | Max. Marks | Marks obtained. |
|--------------|------------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

* No concessional marks for Private candidates)

Date of Birth as recorded in the School Certificate _____

Prepared by

Checked by

Signature of Principal Of ITI

(Facsimile Signature)

Incharge CTS of
DGE & T Inst. (With Seal)

Secretary S.C.V.T
Head of DGE & T Instt.

(Signature of Certificate Holder)

Dated: _____

Sl. No.....

(PARTICULARS OF THE STATE DIRECTORATE/DGET/ET OFFICES)

**STATEMENT OF MARKS FOR AITT CONDUCTED UNDER THE AGENCIES OF NCVT
PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE
Consolidated for All Semesters of the trade**

Marks obtained by Shri/Smt./Kumari..... Son/Daughter/Wife of Shri.....
 Roll NO..... Date of birth as recorded in school certificate..... having undergone training at.....
(ITI Name and Place) and appeared in the All India Trade Test held in the month/year of..... under Craftsman Training Scheme as
 for the trade.....
 a REGULAR candidate.

| Sl. No. | Subject | Paper-I | | | Paper-II | | Paper-III | | Practical | | Total | |
|---------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|
| | | Max. Marks | Marks Secured | Max. Marks | Marks Secured | Max. Marks | Marks Secured | Max. Marks | Marks Secured | Max. Marks | Marks Secured | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Semester-I | | | | | | | | | | | |
| 2 | Semester-II | | | | | | | | | | | |
| 3 | Semester-III | | | | | | | | | | | |
| 4 | Semester-IV | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | |

Minimum pass marks in Trade Theory (Paper I, Paper II and Paper III) in all semester is 40% and in Practical paper-60%
 Result: Pass/Fail in/Eligible to Re-appear (RA)(Yes/No)

Signature of Principal Of ITI
with seal

Signature of Head of DGET Instrt.

Signature of Secretary S.C.V.T

Prepared by:

Date

Signature of Certificate Holder

Sl. No.....

(PARTICULARS OF THE STATE DIRECTORATE/DGET OFFICES)**STATEMENT OF MARKS FOR AITT CONDUCTED UNDER THE ARRANGES OF NCVT
PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE
Consolidated for All Semesters of the trade**

Marks obtained by Shri/Smt./Kumari..... Son/Daughter/Wife of Shri.....
 Roll NO..... Date of birth as recorded in school certificate..... having undergone training at
 (ITI Name and Place) and appeared in the All India Trade Test held in the month/year of
 for the trade..... under Craftsman Training Scheme as
 a PRIVATE candidate.

| Sl. No. | Subject | Paper-I | | | Paper-II | | | Paper-III | | | Practical | | | Total | |
|---------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | Max. Marks | Marks Secured | Max. Marks | Marks Secured | Max. Marks | Marks Secured | Max. Marks | Marks Secured | Max. Marks | Marks Secured | Max. Marks | Marks Secured | Max. Marks | Marks Secured |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | Semester-I | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Semester-II | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Semester-III | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Semester-IV | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | |

Minimum pass marks in Trade Theory (Paper I, Paper II and Paper III) in all semester is 40% and in Practical paper-60%
 Result: Pass/Fail in/Eligible to Re-appear (R)X(Yes/No)

Signature of Principal of ITI
with seal

Signature of Head of DGET Instt.

Signature of Secretary S.C.V.T

Prepared by:

Date

Signature of Certificate Holder

भारत सरकार के पक्षों पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिला/मंडल ग्राम/शहर के निवासी है जो समुदाय के है जिसे भारत सरकार, समाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक के संकल्प संख्या के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। *श्री/श्रीमती/कुमारी तथा उनका परिवार सामान्यतया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, समाजिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993** के कमांडिंग ऑर्डर नं. 36012/22/93-न्या. (एससीटी) की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से संबंधित नहीं है।**

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक

मोहर

*प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के कर्मियों के पदों का उत्सेह करता है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उत्सेह किया गया है।

** समय समय पर यथासंशोधित

टिप्पणी:-यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतया" का वही अर्थ होगा जो अर्थ जनप्रतिनिधिक अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

C. Hearing impairment:

(i) D- Deaf

(ii) PD-Partially deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/ non progressive/ likely to improve/ not likely to improve. Re- assessment of this case is not recommended/ is recommended/ after a period of _____ years _____ months.*

3. Percentage of disability in his/her case is -----percent.

4. Sh./Smt./Kum _____ meets the following physical requirements for discharge off his/her duties:-

- | | |
|--|--------|
| (i) F-can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) PP-can perform work by pulling and pushing. | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) ST-can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) W-can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) SE-can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) RW-can perform work by reading and writing. | Yes/No |

(Dr. _____)
Member
Medical Board

(Dr. _____)
Member
Medical Board

(Dr. _____)
Chairperson
Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent/CMO/Head of
Hospital (- with seal)

* Mark out which is not applicable.